

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./85/2024/40613

:: आ दे श ::

दिनांक : 12 NOV 2024

I

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./79/2024/39244 दिनांक 29.10.2024 के आदेश क्रम- I में क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री विकास जैन, लिपिक ग्रेड प्रथम कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, किशनगढबास की कार्यालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, किशनगढबास में की गई कार्यव्यवस्था निरस्त की जाकर, उन्हें आदेश क्रम- III के द्वारा प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक रीडर का कार्य करने हेतु कार्यालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, किशनगढबास में लगाया गया था। श्री विकास जैन के सम्बन्ध में उक्त दोनों आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप श्री विकास जैन, लिपिक ग्रेड प्रथम पूर्ववत् प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत कार्यालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, किशनगढबास में कार्य करते रहेंगे।

II

निम्नांकित कर्मचारी के सामने कॉलम संख्या-4 में अंकित न्यायालय में की गयी प्रतिनियुक्ति/ कार्यव्यवस्था को प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री रघुनन्दन शर्मा शरिस्तेदार ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-6, अलवर	जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर

III

निम्नांकित कर्मचारीगण को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री रघुनन्दन शर्मा, शरिस्तेदार ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-6, अलवर	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, किशनगढबास (रीडर का कार्य करेंगे)
2	श्रीमती पूजा मीणा, लिपिक ग्रेड द्वितीय	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अलवर (राज.)

श्री ललित मदान, रीडर ग्रेड प्रथम, जो कार्यालय पारिवारिक न्यायालय संख्या-2, अलवर में पदस्थापित होकर जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत कार्यरत हैं, को उन्हें पूर्व में सौंपे गये कार्यों के अतिरिक्त तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक नाजिर (तामील शाखा), जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर का कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

- नोट- 1- कार्यालय आदेशों की पालना 05 कार्यदिवस में आवश्यक रूप से की जाये।
2- कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

Sch
(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

क्रमांक : स्था./2024/ 40624-32

दिनांक : 12 NOV 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सं. 2, अलवर
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 6 अलवर/सं. 1 किशनगढबास
3. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 किशनगढबास/सं. 2 किशनगढबास/भिवाडी
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी
5. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
6. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

12.11.2024
(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र